

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०-2/अ०प्र०-1-210/2016

1854

/पटना, दिनांक :- 28-8-23

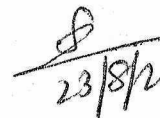
श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विरौल, श्री सुशील कुमार प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर एवं श्री सुभाष चन्द्र महाराज, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज के विरुद्ध प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद एकरारनामा के अनुसार अनुरक्षण हेतु राशि की अधियाचना नहीं किये जाने के बिन्दु पर आरोप पत्र प्रपत्र-‘क’ गठित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव एवं श्री सुशील कुमार प्रसाद द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। समीक्षा में उक्त दोनों अभियंताओं के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य पाया गया।

3. श्री सुभाष चन्द्र महाराज, तदेन कार्यपालक अभियंता दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध प्रश्नगत मामले को कालबाधित की श्रेणी में माना गया।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव एवं श्री सुशील कुमार प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करने एवं श्री सुभाष चन्द्र महाराज के विरुद्ध प्रश्नगत मामला कालबाधित होने के कारण संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, विरौल सम्प्रति सेवानिवृत्त एवं श्री सुशील कुमार प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है तथा श्री सुभाष चन्द्र महाराज, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध प्रश्नगत मामले को संचिकास्त किया जाता है।


23/8/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव



1

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आसुत सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग / विशेष सचिव

23/8/2023
विशेष सचिव